5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

159

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 ~~तीन–पुनरावलोकन/अशोकनगर/भू.रा./2018/~~ पुनर्विलोकन/3253/2018/अशोक०
पुनर्विलोकन/3253/अशोकनगर/

जा.वी.-1192.03
द्वारा आज दि. 28.5.18
प्रस्तुत। प्रारंभिक ... हेतु
दिनांक 6-6-18 नियत।
28.5.18
...रीडर
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– मेहरवान सिंह पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर

2–श्रीमती सरितावाई पत्नि विश्वीर सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम घटावदा सिंध तहसील आरोन
जिला गुना मध्य प्रदेश ——–आवेदकगण

विरूद्ध

प्रेमसिंह पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह रघुवंशी
ग्राम विजयपुरा तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर ——–अनावेदक

(पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू.रा./2017/2454 में पारित आदेश दिनॉक 16–3–2018 के विरूद्ध.)

9(b) 28.5.18
G.P. Nayak
Adv.

महोदय,

पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यह कि अनावेदक ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण कमांक 83/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–7–2017 के विरूद्व श्रीमान न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी, जो आदेश दिनांक 16–3–2018 से निराकृत कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है।

यह कि श्रीमान न्यायालय से आदेश दिनांक 16–3–2018 पारित करते समय कितिपय तथ्यों की प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है जिसके कारण आवेदकगण के विरूद्व निर्णय पारित हुआ है जबकि श्रीमान न्यायालय में निगरानी प्रचलन–योग्य ही नहीं थी;

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3253/2018/अशोकनगर/भू.रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18 –4–19	अनावेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर तर्क किये गये हैं कि प्रकरण में दिनांक 5.4.19 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 15.4.19 पेशी नियत कराई गई थी शीघ्र सुनवाई का आवेदन आवेदक अधिवक्ता श्री जी0 पी0 नारायण को भी प्रदाय किया गया था। प्रकरण में पेशी दिनांक 15.4.19 को जानबूझकर 22.7.19 पेशी ली गई जबकि मेरे द्वारा प्रकरण में पेशी दिनांक 18.4.19 पेशी ली गई प्रकरण में मूल प्रकरण राजस्व मण्डल का संलग्न किया गया था यानि प्रकरण कायमी पर विचारार्थ था। पर उक्त दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता प्रकरण में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये। अनावेदक के अधिवक्ता की की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के प्रस्तुत मेमों के आधार पर अवलोकन किया तथा प्रस्तुत मूल आदेश पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अशोक नगर/भू.रा/2017/2454 में पारित आदेश दिनांक 16–3–2018 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 3253/2018/अशोकनगर/भू.रा के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को	

दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.3.18 से वर्णित किया जा चुका है।

4– प्रकरण कमांक रिव्यु 3253/2018/अशोकनगर/भू.रा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नावलोकन में जो आधार बताये गये हैं।

प्रकरण कमांक रिव्यु 3253/2018/अशोकनगर/भू.रा उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जोउस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यकतत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य